

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 448]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-08/2019/16.— कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 19 की उप-धारा (3) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 46 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“46. शौचालय स्थान.— प्रत्येक कारखाने में शौचालय स्थान की व्यवस्था निम्नलिखित मानदण्ड से की जायेगी :-

(क) जहां स्त्रियाँ नियोजित हों, वहां प्रत्येक 25 स्त्रियों के लिये कम से कम एक शौचालय होगा ।

(ख) जहां पुरुष नियोजित हों, वहां प्रत्येक 25 पुरुषों के लिये कम से कम एक शौचालय होगा :

परन्तु जहां नियोजित पुरुषों की संख्या 100 से अधिक हो तो यह पर्याप्त होगा, यदि वहां प्रथम 100 तक प्रति 25 पुरुषों के लिये एक शौचालय और तत्पश्चात् प्रति 50 पुरुषों के लिये एक शौचालय हो।

इस नियम के अधीन शौचालयों की संख्या की गणना में, यथास्थिति 25 से 50 से कम कर्मकारों की कोई विषम संख्या 25 या 50 के रूप में गिनी जायेगी ।

(ग) भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जायेंगे और महिलाओं के शौचालय में उनके उपयोग के लिये रखे जायेंगे और दैनिक आधार पर फिर से उसकी पूर्ति की जायेगी ।

- (घ) उपयोग किये गए नैपकिन के संग्रह के लिए महिलाओं के शौचालय में डिस्पोजेबल (फेंकने योग्य) डिब्बे ढक्कन के साथ प्रदान किये जाएंगे। उपयोग किये गये नैपकिन का निपटारा निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-8/2019/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 10-8/2019/16, दिनांक 17-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, सचिव.

Atal Nagar, the 17th September 2020

NOTIFICATION

No.F10-8/2019/16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 19 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rule 46, the following shall be substituted, namely:-

“46.Latrine accommodation.- Latrine accommodation shall be provided in every factory on the following scales:-

- (a) Where females are employed, there shall be at least one latrine for every 25 female.
- (b) Where males are employed, there shall be at least one latrine for every 25 males:

Provided that where the number of males exceeds 100, it shall be sufficient if there is one latrine for every 25 males up to the first 100 and one for every 50 thereafter.

In calculating the number of latrines required under this rule, any odd number of workers less than 25 or 50, as the case may be, shall be reckoned as 25 or 50.

- (c) Sanitary Napkins in adequate quantity conforming to Indian Standards shall be provide and maintained in the women's toilets for their use and the same shall be replenished on daily basis.
- (d) Disposable bins with lids shall be provided within the women's toilets for the collection of the used napkins. The used napkins shall be disposed off as per the procedure approved by the Inspector.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONI BORAH, Secretary.